

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 449/2014

संस्थित दिनांक- 30.06.2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

1. ताईफ पिता शबाब खान,
आयु-23 वर्ष, जाति- मुसलमान,
निवासी-पिपरी मोहल्ला, ठीकरी
जिला बड़वानी
2. शबाब पिता सत्तार खान,
आयु-41 वर्ष, जाति- मुसलमान,
निवासी-पिपरी मोहल्ला, ठीकरी
जिला बड़वानी
3. फरीदा बी पति शबाब खान,
आयु-38 वर्ष, जाति- मुसलमान,
निवासी-पिपरी मोहल्ला, ठीकरी
जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 04/01/2016 को घोषित)

1. अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 140/2014 के आधार पर दिनांक 28.02.14 को दिन में लगभग 2:00 बजे ठीकरी में अपने निवास स्थान में फरियादिया शबनम के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादिया शबनम से मोटरसायकल एवं 50,000/-रुपये नकद की दहेज की मांग की एवं नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने के संबंध में भा. द.वि. की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त ताईफ फरियादिया का पति एवं अभियुक्त शबाब ससुर एवं अभियुक्त फरीदा सास है । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था । प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.04.15 को फरियादिया ने अभियुक्तों से राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया, किंतु

उक्त राजीनामा विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया गया है ।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.14 को फरियादिया शबनम पति ताईफ ने थाने पर आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका विवाह एक वर्ष पहले अभियुक्त ताईफ से मुस्लिम रीति-रिवाज अनुसार हुआ था, शादी के बाद कुछ दिन अभियुक्तगण अच्छे से रहे थे, उसके बाद अभियुक्तगण उसे ताने देने लगे थे कि दहेज में कुछ नहीं दिया है, अभियुक्तगण छोटी-छोटी बातों को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे, उसका पति ताईफ उसके साथ मारपीट करता था । अभियुक्तगण उसके पिता के घर से मोटरसायकल एवं 50,000/-रूपये की मांग करने लगे और नहीं देने पर उसे घर से भगा दिया था, उस समय वह गर्भवती थी, ताईफ से उसकी एक पुत्री है, जिसका नाम बसरा है । अभियुक्तों द्वारा घर से निकाल देने पर वह अपने पिता के घर रही और फिर रिपोर्ट करने आई । फरियादिया शबनम की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 140/14 भा.द.वि. की धारा-498/34 का दर्ज कर साक्षियों के कथन अंकित किये गये, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियोग-पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि -

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 28.02.14 को दिन के लगभग 2:00 बजे श्रीमती शबनम के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादिया शबनम को दहेज की मांग के रूप में मोटरसायकल एवं 50,000/-रूपये नकद की मांग की, जो नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया शबनम (अ.सा.1) एवं साक्षी स.उ.नि. राजाराम सागोरे (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से केवल दो साक्षियों का परीक्षण कराया गया है । साक्षी फरियादिया शबनम (अ.सा.1) का केवल

इतना कथन है कि उसने उसके पति एवं सास-ससुर के विरुद्ध पारिवारिक मनमुटाव होने से दहेज की मांग की रिपोर्ट थाने पर की थी, जो प्र.पी.1 की है । इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्तगण उसे दहेज की मांग के संबंध में ताने देते थे एवं प्रताड़ित करते थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था तथा अभियुक्तगण उसके पिता के यहां से मोटरसायकल एवं 50,000/-रूपये लाकर देने का बोलते थे । इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अपने पिता के यहां से दहेज का मना करने पर अभियुक्तों ने उसे घर से भगा दिया था । फरियादिया ने रिपोर्ट प्र.पी.1 में उक्त बातें लिखाने से भी इन्कार किया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने से वह अभियुक्तगण के पक्ष में असत्य कथन कर रही है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे प्र.पी.1 की रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनायी थी और पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की थी ।

8. साक्षी स.उ.नि. राजाराम सागोरे (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 07.06.14 को फरियादिया द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज में मोटरसायकल एवं नकद राशि 50,000/-रूपये की मांग करने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि विवेचना के दौरान उसने फरियादिया एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने फरियादिया के माता-पिता एवं दादा के कहे अनुसार प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज की है अथवा प्र.पी.1 की रिपोर्ट उसे फरियादिया ने नहीं लिखायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

9. राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि फरियादिया ने अभियुक्तों से राजीनामा कर लिया है और उनके विरुद्ध कोई भी कथन न्यायालय में नहीं किया है, यहां तक कि प्र.पी.1 की रिपोर्ट भी उसके द्वारा लिखाने से इन्कार किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं क्रूरता कारित की गयी थी तथा उक्त मांग पूरी नहीं करने पर उसे घर से निकाल दिया था । ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है । अतः अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

10. अभियुक्तों के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

11. अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

12. प्रकरण में जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.